भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1689
31.07.2023 को उत्तर के लिए

वायु प्रदूषण

1689. **श्री विजय कुमार हांसदाक :**
श्री सुनील कुमार सोनी :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वायु प्रदूषण के प्रभाव का, विशेष रूप से खुले में पेशागत काम करने वाले कामगार समूहों पर, आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास ऐसे समूहों को वायु प्रदूषण से बचाने के लिए कानून बनाने की कोई योजना है जो जनजातीय आबादी वाले क्षेत्र, विशेष रूप से झारखंड में कार्य करने के कारण अधिक असुरक्षित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय योजना के तहत वायु प्रदूषण के मद्देनजर किसी शहर को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है;

(घ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु अनुमोदित छत्तीसगढ़ के शहरों के नाम क्या हैं; और

(ङ) पन्द्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 हेतु छत्तीसगढ़ के नगरों की कार्य योजना हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई है और स्वीकृत राशि को व्यय करने हेतु क्या मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने व्यावसायिक रूप से प्रदूषण में काम करने वाले श्रमिकों, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े कार्मिकों और कचरा बीनने वालों पर वायु प्रदूषण के पिछले प्रभावों का आकलन किया है। यह देखा गया कि वे वायु प्रदूषण के प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील थे और उनमें श्वसन संबंधी रोग, न्यूमोनिटिस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जैसी बीमारियां मौजूद थीं। उनके शरीर में क्रोमियम, सीसा और पारा जैसी भारी धातुओं के उच्च स्तर का जोखिम भी बढ़ गया था, साथ ही उनके फेफड़ों की कार्यप्रणाली भी प्रभावित हुई थी।

अपने व्यवसाय के कारण संवेदनशील ऐसे समूहों को वायु प्रदूषण से बचाने के लिए, सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को अधिसूचित किया है, जिसके तहत सेंसस नगर और शहरी समूहों के स्थानीय प्राधिकरणों तथा ग्राम पंचायतों से अपेक्षा की गई है कि वे कचरा बीनने वालों या अनौपचारिक कचरा संग्रहकर्ताओं के संगठनों को अभिज्ञात करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करें। स्थानीय निकायों को भी इन कचरा बीनने वालों तथा अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं के समन्वय के लिए एक प्रणाली को बढ़ावा देने और स्थापित करने की भी आवश्यकता है ताकि घर-घर जाकर अपशिष्ट के संग्रहण सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में उनकी भागीदारी को सुविधाजनक बनाया जा सके। साथ ही स्थानीय प्राधिकरणों और पंचायतें यह

सुनिश्चित करेंगी कि सुविधा का प्रचालक, ठोस अपशिष्ट का हथालन करने वाले सभी कामगारों को वर्दी, फ्लोरोसेंट जैकेट, हाथ के दस्ताने, रेनकोट, उपयुक्त जूते तथा मास्क सहित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाने हैं और इनका उपयोग कार्यबल द्वारा किया जाता है।

(ग) से (ड.) राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत मानकों को पूरा न करने वाले 123 शहरों की पहचान की गई है, जहां लगातार पांच वर्षों तक राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता पीएम$_{10}$ सांद्रताओं के संदर्भ में मानकों से अधिक रही है। इसके अतिरिक्त, XVवें वित्त आयोग के तहत वित्त पोषित दस लाख से अधिक आबादी वाले 42 शहरों को उपर्युक्त कार्यक्रम में शामिल किया गया है। वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु इस कार्यक्रम के तहत कुल 131 शहरों (मानकों को पूरा न करने वाले 89 शहर; मानकों के पूरा न करने वाले तथा दस लाख से अधिक आबादी वाले 34 शहर और दस लाख से अधिक आबदी वाले 8 शहर) को शामिल किया गया है।

छत्तीसगढ़ के तीन शहरों नामत: रायपुर, दुर्ग-भिलाई और कोरबा को एनसीएपी के तहत शामिल किया गया है, जिनमें से वायु गुणवत्ता में सुधार के उपाय करने के लिए रायपुर और दुर्ग-भिलाई को XVवें वित्त आयोग वायु गुणवत्ता निष्पादन अनुदान के तहत वित्त पोषित किया गया है और कोरबा को मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरा XVवें वित्त आयोग के तहत छत्तीसगढ़ के शहरों को जारी की गई धनराशि का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

*****

अनुबंध-I

क्र.सं.	राज्य	क्र.सं.	शहर	वर्ष के दौरान स्वीकृत/प्राप्त/जारी की गई निधि (राशि करोड़ रुपए में)		
				वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	कुल
				4	6	
1	छत्तीसगढ़	1	रायपुर	35.35	29.00	64.35
		2	भिलाई	33.35	27.00	60.35
कुल				68.70	56.00	124.70

***